Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Warehousing & Logistics Policy 2012

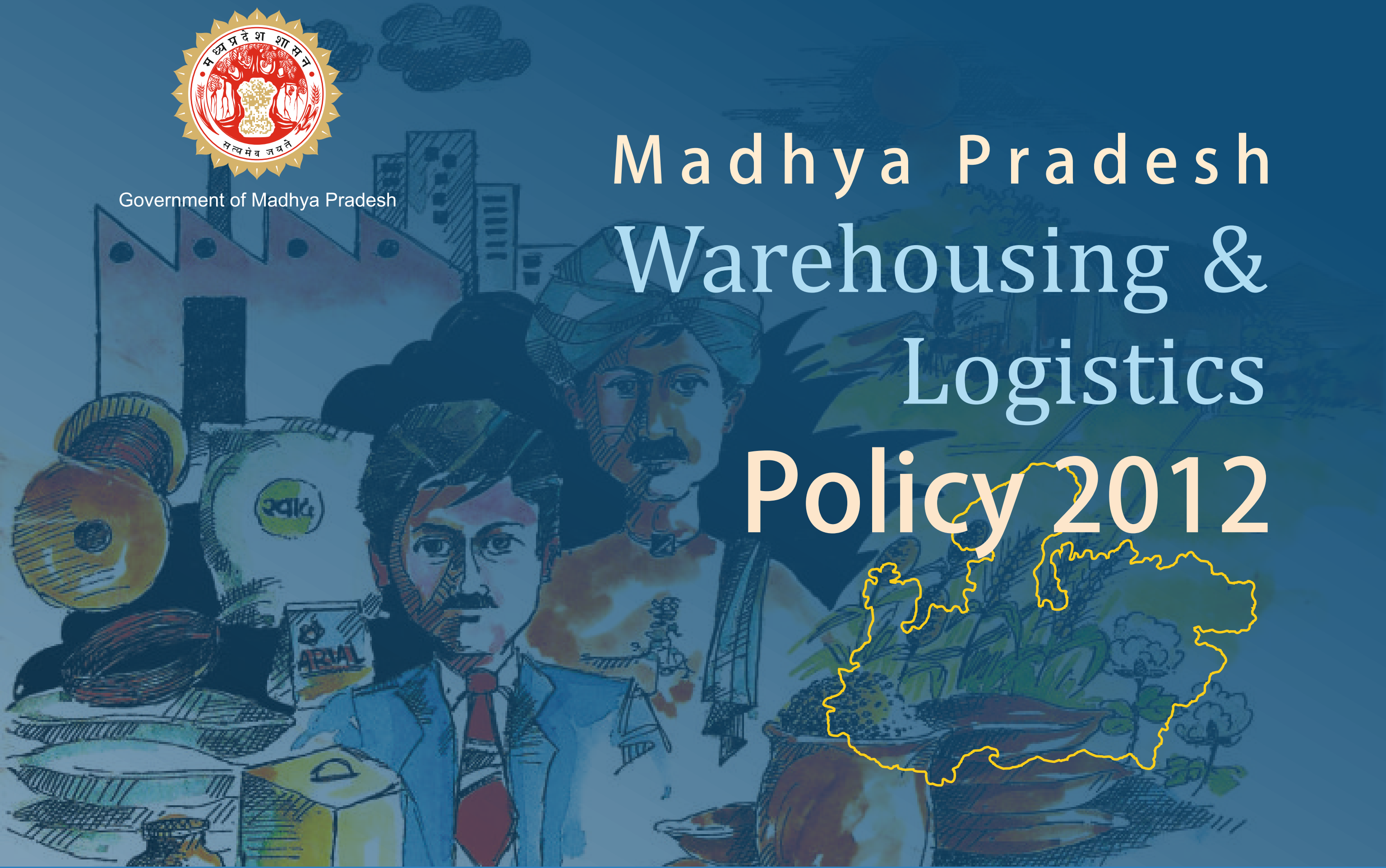

मध्यप्रदेश भण्डारण एवं लॉजिस्टिक नीति 2012

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Warehousing & Logistics Policy, 2012

SILOBAG

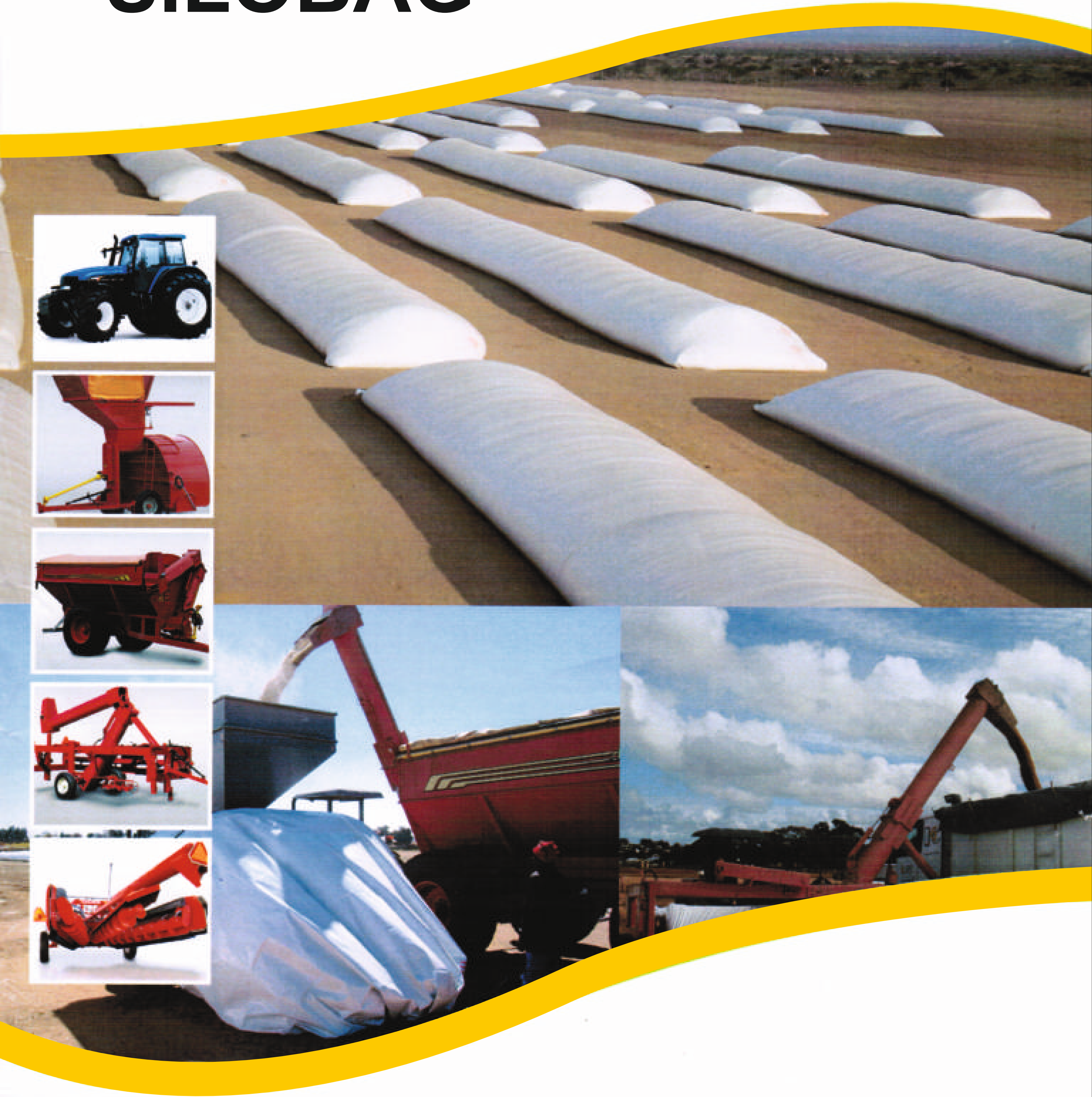

ABBREVIATIONS

MPWLC	-	Madhya Pradesh Warehousing & Logistics Corporation
CWC	-	Central Warehousing Corporation
DMIC	-	Delhi-Mumbai Industrial Corridor
SEZs	-	Special Economic Zones
AEZ	-	Agri Export Zones
SIR	-	Special Investment Regions
FTWZs	-	Free Trade Warehouse Zone
TRIFAC	-	Trade and Investment Facilitation Corporation
INR	-	INDIAN RUPEE
WDRA	-	Warehousing Development & Regulatory Authority
ISO	-	International Organization for Standardization
DBFOT	-	Design-Build-Finance-Operate-Transfer
VGF	-	Viability Gap Funding
MT	-	Metric Tonne

TABLE OF CONTENTS

Preamble	1
Objectives	1
Strategy	1
Definitions	2
Available Incentives	2
PART A - Long Term Incentives	3
PART B - Early Bird Incentives	4
Silos	4
Logistics Infrastructure	5

Madhya Pradesh Warehousing & Logistics Policy 2012

Preamble

The State of Madhya Pradesh has the potential to become the " Warehousing And Logistics Hub" of the country. The Policy aims to provide modern, integrated, cost effective warehousing and logistics services, and also to encourage more investment in the State and develop infrastructure of warehousing and create employment opportunities.

Objectives

This Policy has the following objectives:-

- To develop the state of Madhya Pradesh as a Warehousing And Logistics Hub of India;
- To provide modern warehousing and logistics facilities;
- To encourage private investment in development of warehousing and logistics infrastructure in the State;
- To benefit the existing industries, traders, farmers and agriculturists at large by providing cost effective warehousing and logistis facilities;
- To generate employment in the State

Strategy

- The warehousing and logistics activities are capital intensive in nature. The policy aims to make the development of warehousing and logistics in the State to be cost efficient. The presence of an integrated logistics network will enable the users to reduce costs and gain efficiencies.
- Agriculture production has been increasing in the State at an average of 8-10% per annum and there is substantial growth in marketable surplus of agricultural/horticultural commodities. Therefore, enhancement of available warehousing capacity is necessary to provide safe storage of agriculture commodities for food security.
- The adequate connectivity and enabling logistics infrastructure is an essential

component of any supply chain. The policy aims to give incentive for creation of a robust logistics network in Madhya Pradesh to complement the warehousing infrastructure.

- Investments will be encouraged along investment nodes developed under the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), proposed State Investment Corridors, Industrial Clusters, SEZs, FTWZs, Agri Export Zones and Special Investment Regions. Land Banks will be established in view of future requirements of land for warehousing and logistics facilities.
- The State Government will aim to simplify the regulatory processes in the Warehousing and Logistics sector and create an enabling investment climate for investors in the State.

Definitions

- “Warehousing Business' means the business of maintaining warehouses for storage of goods and issuing negotiable warehouse receipts.
- “Logistics” means the management of the flow of goods and materials, between the point of origin and the point of destination in order to meet certain requirements. The logistics of physical items usually involves the integration of information flow, material handling, production, packaging, inventory management, transportation and warehousing.
- “Capital Investment” shall include setting up costs of project but shall not include cost of land, working capital and operative expenses. The cost of technical and management consultants will be considered as a part of project cost.

Available Incentives

The incentives are classified into Part A and Part B. The incentives under Part A are long term procedural incentives whereas the incentives under Part B are "Early Bird Incentives" and will be applicable for the next 2 years for creation of maximum storage capacity of 20 lakh metric tonnes.

The incentives offered under this policy will be applicable uniformly across the state and the districts will not be classified as 'A', 'B' or 'C' for purpose of implementation of this policy.

Any change to this policy or any proposal for incentives over and above the ones mentioned in this policy based on geographical/business requirements of a particular location will be forwarded to the APEX Committee headed by Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh for approval.

Calculation of storage space for all purposes as a part of this Policy will be done based on the following formula.

$$\frac{\text{Length} \times \text{Width} \times (\text{Height} - 2)}{80} = \text{Capacity in Metric Tonnes (MT)}$$

where 'Length', 'Width' and 'Height' are in 'ft' and height of the warehouse for calculation purposes will be such as per norms prescribed by Central Warehousing Corporation (CWC).

PART A – Long Term Incentives

(1) The proposed green field industrial estates/clusters shall reserve 10% land for warehousing facilities (excluding amenities).

(2) The proposals for setting up warehouses in the existing industrial estates will be approved, based on demand for warehousing facilities, availability of land in the industrial estate, connectivity and facilities for handling truck traffic.

(3) A minimum of 50 acres of land in 10 identified districts will be earmarked and developed as 'Warehouse Zone' for setting up warehouses/silos.

(4) The land for setting up warehouses in green field industrial estates and in Warehouse Zones will be allotted on long term lease basis at the same rates as applicable to Small Scale Industry Units.

(5) Various models of business guarantee may be introduced periodically for existing warehouses, based on requirement, to increase warehousing capacity and promote innovations such as Silo Bags and other new technologies.

(6) All proposals/projects based on this policy will get the benefits of "Single Window Clearance" through TRIFAC.

PART B – Early Bird Incentives

(7) The warehousing projects with capital investment of more than INR 1 Crore will be eligible for **Capital Subsidy** of 15% of the infrastructure development cost (excluding cost of land) upto a maximum of INR 2.25 Crores for a warehousing capacity of 50,000 MTs per investor per project. The cost of infrastructure development in warehousing projects will be calculated at the rate of INR 3,000/- per MT.

(8) All new warehousing projects with an investment of INR 1 Crore and above will be eligible for a 5% per annum **interest subsidy** on term loan for a period of 7 years from the year of commencement of operations subject to an upper limit of INR 1.7 Crores for a capacity of 50,000 MT per investor per project. The cost of infrastructure development in warehouse projects will be calculated at the rate of INR 3,000/- per MT.

(9) Expansion of existing warehousing capacity involving capital investment of at least INR 1 Crore will be treated as a new project so as to avail all available incentives provided in this policy. Such incentives will only be available to such warehouses who have obtained licence prior to publication of the notification of this policy.

(10) This policy aims to promote creation of warehousing capacity of 15 lakh MTs by projects which have not availed of any other subsidies or business guarantee schemes of State Government or Central Government.

(11) To promote quality certification such as WDRA and ISO:9000 of newly constructed warehousing facilities under this policy, 50% of the cost of certification or INR 1 lakh, whichever is less, will be reimbursed.

Silos

(12) To promote establishment of Silos of 5 lakh MTs in Madhya Pradesh, the State Government will provide the following incentives :

- (i) Such projects shall be implemented by Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) mode.
- (ii) The land shall be provided by the State Government on long term lease basis for 20 years which shall be extendable by another 10 years.

(iii) The State Government will provide upto a maximum of additional 20% Viability Gap Funding (VGF) support, if required, in addition to 20% VGF by Government of India under the VGF Policy. However, such projects will not be eligible for Capital Investment Subsidy and Interest Subsidy as mentioned in points 7 and 8 of this policy.

(iv) Such projects shall be awarded through a transparent bidding process and such project shall be eligible for business guarantee for 10 years.

Logistics Infrastructure

(13) With the aim of promoting establishment of Integrated Logistics facilities in Madhya Pradesh, vehicle registration fees applicable for carrier goods fleet for a minimum fleet of 50 vehicles shall be reduced by 2%.

In order to avail this incentive, the minimum carrying capacity of the vehicle must be 9 MTs and the fleet owning entity should also set up a warehousing facility with a capacity of at least 10,000 MTs in the same period. The warehouse facility will be eligible with all other relevant incentives as laid down in this policy.

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश भण्डारण एवं लॉजिस्टिक नीति 2012

संक्षिप्त रूप

एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.	-	मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन
सी.डब्ल्यू.सी.	-	केन्द्रीय भण्डारण निगम
डी.एम.आई.सी.	-	दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर
एस.ई.जेड.	-	विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र
ए.ई.जेड.	-	कृषि निर्यात प्रक्षेत्र
एस.आई.आर.	-	विशेष निवेश प्रक्षेत्र
एफ.टी.डब्ल्यू.जेड.	-	मुक्त व्यापार भण्डारण प्रक्षेत्र
टी.आर.आई.एफ.ए.सी.	-	ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन
आई.एन.आर.	-	भारतीय मुद्रा
डब्ल्यू.डी.आर.ए.	-	भंडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण
आई.एस.ओ.	-	अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	डिजाईन-बिल्ट-वित्त परिचालन हस्तांतरण
वी.जी.एफ.	-	वायबिलिटी गेप फंडिंग
एम.टी.	-	मीट्रिक टन

साइलो बैग भण्डारण समस्या का विकल्प

विषय सूची

प्रस्तावना	1
उद्देश्य	1
रणनीति	1
परिभाषाऐं	2
उपलब्ध प्रोत्साहन	3
भाग-अ-दीर्घकालिक प्रोत्साहन	4
भाग-ब-''प्रथम आओं प्रथम पाओं'' के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन	4
साइलोज	5
लॉजिस्टिक सुविधाओं की अधोसंरचना	6

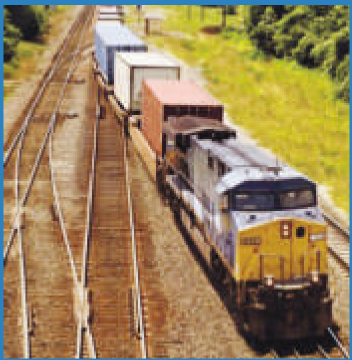

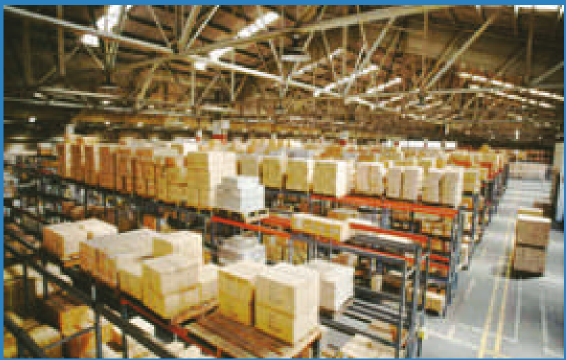

मध्यप्रदेश भण्डारण एवं लॉजिस्टिक नीति, 2012

प्रस्तावना

भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सुविधा की नीति की आवश्यकता लम्बे समय से अनुभव की जाती रही है। वर्तमान नीति मध्यप्रदेश को देश में ''भण्डारण एवं लॉजिस्टिक हब'' के रूप में विकसित करने हेतु निर्मित की गई है। नीति का उद्देश्य आधुनिक, एकीकृत और सस्ती भण्डारण एवं समेकित सेवा प्रदान करना और राज्य में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करना, भण्डारण अधोसंरचना का विकास करना और रोजगार के अवसर निर्मित करना है।

उद्देश्य

इस नीति के निम्न उद्देश्य हैं :-

- मध्यप्रदेश राज्य को भारत का एक ''**भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं के हब**'' के रूप में विकसित करना,
- आधुनिक भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराना,
- राज्य में भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं की अधोसंरचना के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना,
- विद्यमान उद्योगों, व्यापारियों, किसानों और बड़ी संख्या में कृषकों को सस्ती भंडारण सुविधा उपलब्ध कराकर लाभ पहुँचाना,
- राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना।

रणनीति

- भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सुविधा की गतिविधियों में बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। प्रदेश में भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास कर सस्ती भंडारण एवं लॉजिस्टिक

सुविधाओं को उपलब्ध कराना इस नीति का उद्देश्य है। एक एकीकृत समेकित सुविधा नेटवर्क की विद्यमानता उपभोगकर्ताओं को लागत कम करने एवं कुशलता प्राप्त करने में सहयोगी होगी।

- औसतन 8 से 10 प्रतिशत वार्षिक कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ, कृषि उद्यानिकी वस्तुओं के बाजार में अतिशेष की सारभूत वृद्धि हुई है, इस कारण राज्य में उपलब्ध भण्डारण क्षमता को बढ़ाना आवश्यक हो गया है।
- पर्याप्त संयोजकता एवं उचित लॉजिस्टिक अधोसंरचना किसी भी आपूर्ति श्रृंखला का एक आवश्यक अंग है। प्रोत्साहन देकर लॉजिस्टिक सुविधाओं का मध्यप्रदेश में एक मजबूत जाल बनाकर भण्डारण अधोसंरचना के पूरक के रूप में विकसित करना इस नीति का उद्देश्य है।
- निवेश को उन स्थानों में प्रोत्साहित किया जायेगा जो दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर, प्रस्तावित प्रादेशिक निवेश कारिडोर, औद्योगिक समूह, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, मुक्त व्यापार भंडारण प्रक्षेत्र, कृषि निर्यात प्रक्षेत्र, और विशेष निवेश प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत विकसित किये गये हैं। भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सुविधा के लिये भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत भूमि हेतु भूमि बैंक स्थापित किये जावेंगे।
- भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिये क्षेत्र में विनियमन प्रक्रिया का सरलीकरण करना राज्य सरकार का उद्देश्य रहेगा और समर्थ निवेशकों के लिये एक सुयोग्य विनिवेश का वातावरण राज्य शासन द्वारा सृजित किया जावेगा।

परिभाषाऐं

- **''भण्डारण व्यवसाय'' से आशय –** वस्तुओं के भण्डारण हेतु गोदाम को संधारित करने का व्यवसाय एवं हस्तांतरणीय वेअरहाउस रसीद जारी करना।
- **''लॉजिस्टिक्स'' से आशय –** सामान एवं वस्तुओं के उद्‌गम स्थल से लेकर लक्ष्य बिन्दु तक पहुँचने का प्रबंधन करना। सूचनाओं के प्रवाह का एकीकरण, वस्तुओं को सम्हालना, उत्पादन, बंडल बनाना, सूचीकरण, परिवहन एवं गोदामीकरण सामान्यत: लॉजिस्टिक सुविधाओं के भौतिक वस्तुओं में शामिल है।
- **''पूंजी निवेश'' से आशय –** पूंजी निवेश में परियोजना स्थापना की लागत सम्मिलित है परन्तु इसमें

भूमि की कीमत, कार्यशील पूंजी एवं संचालन खर्च शामिल नहीं है। तकनीकी एवं प्रबंधकीय सलाहकार पर लागत, परियोजना लागत का हिस्सा रहेगी।

उपलब्ध प्रोत्साहन

भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सुविधा नीति 2012 के अंग के रूप में भण्डारण एवं समेकित सुविधा उद्योग को दिया जाने वाला प्रोत्साहन निम्नानुसार है :-

प्रोत्साहन भाग **''अ''** एवं भाग **''ब''** में वर्गीकृत है। भाग **''अ''** दीर्घकालिक प्रक्रियात्मक प्रोत्साहन है जबकि भाग ''ब'' प्राथमिक प्रोत्साहन **''प्रथम आओ प्रथम पाओ''** के आधार पर प्रदाय किया जाएगा जो कि आगामी 02 वर्षों तक 20 लाख मी. टन की अधिकतम भण्डारण क्षमता निर्मित करने के लिये लागू रहेगा।

भण्डारण की आवश्यकता की मांग के आधार पर इस नीति के तहत दिया जाने वाला प्रोत्साहन पूरे प्रदेश के लिये एक समान लागू होगा तथा इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के जिलों को उद्योग नीति के भांति ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा।

इस नीति में कोई परिवर्तन अथवा इस नीति में उल्लेखित प्रोत्साहन से और अधिक प्रोत्साहन के प्रस्ताव जो किसी विशेष क्षेत्र की व्यवसायिक/भौगोलिक आवश्यकताओं पर आधारित हों, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता वाली शीर्ष कमेटी को अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जावेगा।

इस नीति के अंग के रूप में सभी उद्देश्यों के लिये भण्डारण स्थान की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जावेगी :-

$$\frac{\text{लम्बाई} \times \text{चौड़ाई} \times \text{ऊँचाई} - 2}{80} = \text{क्षमता (मीट्रिक टन में)}$$

यहाँ गणना के उद्देश्य हेतु गोदाम की 'लम्बाई', 'चौड़ाई' एवं 'ऊँचाई' फीट में होगी एवं ऊँचाई केन्द्रीय भण्डारण निगम के द्वारा विहित मापदण्डों के अनुरूप होगी।

भाग–अ–दीर्घकालिक प्रोत्साहन

(1) विद्यमान एवं प्रस्तावित नये औद्योगिक केन्द्र/क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की 10 प्रतिशत भूमि भण्डारण सुविधाओं (Amenities को छोड़कर) हेतु आरक्षित रहेगी।

(2) भण्डारण सुविधाओं के लिये मांग, औद्योगिक क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता, ट्रक यातायात के लिये संयोजकता एवं हेण्डलिंग सुविधाओं के आधार पर विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र में भण्डारगृह स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जावेगा।

(3) भण्डारगृह/सायलो की स्थापना के लिये 10 चिन्हित जिलों में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि **''वेअरहाउस जोन''** के लिये आरक्षित कर एवं विकसित की जावेगी।

(4) औद्योगिक केंद्र/क्षेत्र एवं ''वेअरहाउस जोन'' में भण्डारगृह स्थापित करने के लिये भूमि का आवंटन लघु औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली दर पर दीर्घ कालिक पट्टे के आधार पर किया जावेगा।

(5) भण्डारण क्षमता की वृद्धि करने एवं नवाचार के तहत सायलो बैग्स जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने तथा अन्य नई तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यकता के आधार पर विद्यमान गोदामों के लिये समय-समय पर विभिन्न प्रकार की व्यवसाय गारंटी मॉडल (Model) लागू कियो जावेंगे।

(6) इस नीति पर आधारित सभी प्रस्तावों को ट्राईफेक के माध्यम से ''एकल खिड़की निस्तारण'' (Single Window Clearance) के लाभ प्राप्त होंगे।

भाग–ब – ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन

(7) रुपये एक करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के भण्डारण के प्रोजेक्ट को अधोसंरचना विकास लागत (भूमि के मूल्य को छोड़कर) के 15 प्रतिशत **पूंजी अनुदान** की पात्रता होगी जो कि 50,000 मी. टन भण्डारण क्षमता के लिये प्रति निवेशक प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम रुपये 2.25 करोड़ तक होगी।

अधोसंरचना विकास के लिये मूल्य की गणना भण्डारण प्रोजेक्ट के लिये रुपये 3,000/- प्रति मीट्रिक टन क्षमता की दर से की जावेगी।

(8) रुपये एक करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के भंडारण के प्रोजेक्ट के term-loan पर 5% की दर से

सुविधा संचालन आरंभ के वर्ष से 7 वर्ष तक ब्याज **अनुदान की पात्रता** होगी जो कि 50000 में टन भंडारण क्षमता के लिये प्रति निवेशक प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम रु. 1.70 करोड़ तक होगी।

अधोसंरचना विकास के लिये मूल्य की गणना भण्डारण प्रोजेक्ट के लिये रुपये 3,000/- प्रति मीट्रिक टन क्षमता की दर से की जावेगी।

(9) कम से कम एक करोड़ रुपये पूंजी निवेश की विद्यमान भण्डारण क्षमता के विस्तारीकरण को इस नीति में दिये गये सभी उपलब्ध प्रोत्साहन के लिये नया प्रोजेक्ट मान्य किया जावेगा। ऐसे प्रोत्साहन केवल ऐसे भण्डारगृहों को उपलब्ध होंगे जिन्होंने इस नीति की अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व लायसेंस प्राप्त कर लिये हैं।

(10) ऐसे प्रोजेक्ट के द्वारा 15 लाख मीट्रिक टन क्षमता की भण्डारण क्षमता को विकसित करने का इस नीति का उद्देश्य है, जिसने कोई अन्य अनुदान अथवा राज्य या केन्द्र सरकार की व्यवसाय गारंटी योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।

(11) इस नीति के अन्तर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये नई निर्मित भण्डारण सुविधाओं में WDRA एवं ISO : 9000 की तरह गुणवत्ता प्रमाणन के लिये प्रमाणन मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा एक लाख रुपये इनमें जो भी कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति की जावेगी।

साइलोज

(12) मध्यप्रदेश में पांच लाख मीट्रिक टन की सायलोज स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार निम्नानुसार प्रोत्साहन देगी :-

(i) ऐसे प्रोजेक्ट Design-Built-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) पद्धति द्वारा क्रियान्वित किये जावेंगे।

(ii) राज्य सरकार द्वारा 20 वर्ष के दीर्घकालिक पट्टे पर, जिसमें कि10 वर्ष की अभिवृद्धि की जा सकेगी, भूमि आवंटित या उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) भारत सरकार के द्वारा VGF नीति के अन्तर्गत प्रदाय की जाने वाली 20 प्रतिशत VGF के अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार इस नीति के अन्तर्गत अधिकतम 20

प्रतिशत VGF सहायता प्रदान करेगी, यद्यपि ऐसे प्रोजेक्ट को इस नीति की कंडिका 7 एवं 8 में वर्णित अनुसार पूंजी निवेश अनुदान तथा ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी।

(iv) ऐसे प्रोजेक्ट को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया (Bidding Process) के माध्यम से निष्पादित किया जावेगा एवं ऐसे प्रोजेक्ट को 10 वर्ष की व्यवसाय गारंटी की पात्रता होगी।

लॉजिस्टिक सुविधाओं की अधोसंरचना

(13) मध्यप्रदेश में एकीकृत लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यूनतम 50 वाहनों के एक माल वाहक बेड़े के लिये लागू वाहन पंजीकरण शुल्क को 2 प्रतिशत कम किया जावेगा।

इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिये वाहन की भार वाहन क्षमता न्यूनतम 9 मीट्रिक टन होना चाहिये और वाहन मालिक (व्यक्ति) को उसी प्रोजेक्ट में कम से कम 10,000 मीट्रिक टन की भण्डारगृह सुविधा भी स्थापित करना चाहिये। भण्डारगृह सुविधा के लिये इस नीति में दी गई अन्य सभी सुसंगत प्रोत्साहनों की पात्रता होगी।

<u>Contact</u>

M.P. WAREHOUSING & LOGISTICS CPRPORATION

Head Office : Office Complex, Block 'A'
Gautam Nagar, Bhopal - 462023
Phone : 0755-2600509, 2600511, 2600518,
2600524, 2600507, 2600503, 2600148
Fax : 0755-2600384, 2600213
E-mail : hompwlc@yahoo.co.in
hompwlc@gmail.com
Website : www.mpwarehousing.com

<u>सम्पर्क</u>

म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन

प्रधान कार्यालय : ऑफिस काम्पलेक्स, ब्लॉक 'ए'
गौतम नगर, भोपाल-462023
दूरभाष : 0755-2600509, 2600511, 2600518,
2600524, 2600507, 2600503, 2600148
फैक्स : 0755-2600384, 2600213

Madhya Pradesh Madhyam
मुद्रण ---------------------------